न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 67/2025 बउनवानी काशी सिंह **बनाम** अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तहसील तलावडा

GCMS No-2025/ 187

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
20.8.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 15.5.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 8.3.2025, 22.11.2024,3.2.2025 पर की गयी कार्यवाही एवं राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा जिला कलेक्टर को दिये गये निर्देकश क्रमांक प.6(810/2025) राम.आ./20/8/151 दिनांक 8.4.2025 पर एवं राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/प.84(29)/सवाईमाधोपुर/2020/दिनांक 20.12.2022 पर की गयी कार्यवाही की सूचना* "अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(1)()/सूकाअ/2025/898 दिनांक 24.7.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 15.5.2025 को 6(1) के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र कार्यालय मे आना नही पाया गया है इसलिए उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 15.5.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है इसलिए अपीलान्ट को उक्त सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना चाहने के लिए अधिनियम की धारा के 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (कान्हा राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:38:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner